

# अखण्ड भारत सन्देश

[www.akhandbharatsandesh.net](http://www.akhandbharatsandesh.net)

नगर संस्करण प्रयागराज बुधवार, 13 जनवरी, 2021

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को द्रुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान संस्थान की एक अनुपम भेट

प्रयागराज से प्रकाशित

## तीनों कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान किसान पक्ष की तरफ से चार मुख्य वकील गायब रहे। आज कोर्ट ने एक कमेटी का गठन कर दिया है और साथ ही तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। लेकिन अनिश्चित काल के लिए नहीं।

नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को प्रियंका साल सितंबर में बनाए गए तीन कृषि कानूनों की वैधता को चुनावी देने वाली विधिकाओं पर सुनवाई हुई और इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। आज की सुनवाई पूरी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। आज की सुनवाई पूरी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। आज की सुनवाई पूरी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है।

● सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस परेड वायित करने की आशका पर, जो दिल्ली पुलिस ने विधिका डाली थी, उसके लिए नोटिस जारी किया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने गणतंत्र दिवस परेड वायित करने की अर्जी पर नोटिस जारी कर रखे हैं। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। सभी पक्षों को विधिका की कौपी दी जाए।

● मुख्य न्यायाधीश को कहा कि हमपर ऐसा भी सुनवाई को मिला है कि प्रतिविधि संगठन भी अदोलन में लगे हैं। इसपर उचक ने अद्यता



कर सकते हैं।

● बोर्ड दिन सुप्रीम कोर्ट ने अदोलन में जगत मिलानी चाहिए। जहां मीडिया भी उन्हें देख सकते हैं। इसपर कोर्ट ने साल उठाते हुए पूछा कि क्या अभी तक किसी ने रेले के लिए प्रश्नासन को अवेदन दिया? मुख्य न्यायाधीश ने अपने बयान में कहा कि हम अदेश में कहेंगे कि रामलीला मैदान या अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन के लिए किसान को मिला है। इसपर CJJ ने कहा कि हम आपके बयान को नहीं करेंगे कि वह बैठक में लिए प्रस्तुत करेगा।

● मुख्य न्यायाधीश बोले- समिति

बना रहे हैं, ताकि हमारे पास एक स्पष्ट तर्कीर हो। हम यह तर्क नहीं सुनना चाहते कि किसान समिति में नहीं जाएगे। हम समस्या को हल करने के लिए देख रहे हैं। यदि आप (किसान) अधिकारित काल के लिए आदोलन करना चाहते हैं, तो आप देने की तैयारी है। बता दें कि सोमवार को मामले को सुनवाई होगी।

● CJJ ने कहा कि वह समिति हमारे लिए होगी। आप सभी लोग जो हम मुझ को हल करने के उम्माद कर रहे हैं, इस समिति के समस्या जाएं। यह एक आदेश परिणाम होनी करेगा या आपको बैठत नहीं करेगा, यह केवल हमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

● विधिकारी एमएल शर्मा की बात सुनने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोर्ड ने कहा, हम स्थिति करेंगे। लोकन अधिकारित काल के लिए नहीं। हमारा मकसद सिफारिश करना चाहिए।

● शर्मा ने कहा कि किसान यह भी कह रहे हैं कि सभी आदोलन में जगत मिलानी चाहिए। हमारे सामने जानून की लगत नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश बोले- हाँ। इसे जीवन मौत के मामले में तरह नहीं होगा।

● शर्मा ने कहा कि किसान यह भी कह रहे हैं कि सभी आदोलन में जगत मिलानी चाहिए। हमारे सामने जानून की लगत नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश बोले- हाँ। इसे जीवन मौत के मामले में तरह नहीं होगा।

● CJJ बोले- हम एक समिति

पर चर्चा करेंगे और तय करेंगे कि क्या करना है।

बीते दिन केंद्र पर सखी से पेश आते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोर्ड की अध्यक्षता वाली कानूनों को रख करवाना चाहते हैं। यदि आप (किसान) अधिकारित काल के लिए आदोलन करना चाहते हैं, तो आप देने की तैयारी है। बता दें कि सोमवार को मामले को सुनवाई होगी।

● विधिकारी एमएल शर्मा ने बोर्ड के टुकड़े को देखा तो उसका द्वारा एक समिति के गठन आदलत ने संकेत दिया था कि वह सामान्य का सुनान दिया गया, जो जांच करेगी या आपको बैठत नहीं करेगा, यह केवल हमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

● विधिकारी एमएल शर्मा की बात सुनने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोर्ड ने कहा, हम स्थिति करेंगे। लोकन अधिकारित काल के लिए नहीं। हमारा मकसद सिफारिश करना चाहिए।

● शर्मा ने कहा कि किसान यह भी कह रहे हैं कि सभी आदोलन में जगत मिलानी चाहिए। हमारे सामने जानून की लगत नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश बोले- हाँ। इसे जीवन मौत के मामले में तरह नहीं होगा।

● शर्मा ने कहा कि किसान यह भी कह रहे हैं कि सभी आदोलन में जगत मिलानी चाहिए। हमारे सामने जानून की लगत नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश बोले- हाँ। इसे जीवन मौत के मामले में तरह नहीं होगा।

● CJJ बोले- हम एक समिति

नें बनाने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोर्ड ने बोर्ड के टुकड़े को देखा तो उसका द्वारा एक समिति के गठन आदलत ने संकेत दिया था कि वह सामान्य का सुनान दिया गया, जो जांच करेगी या आपको बैठत नहीं करेगा, यह केवल हमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

● विधिकारी एमएल शर्मा की बात सुनने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोर्ड ने कहा, हम स्थिति करेंगे। लोकन अधिकारित काल के लिए नहीं। हमारा मकसद सिफारिश करना चाहिए।

● शर्मा ने कहा कि किसान यह भी कह रहे हैं कि सभी आदोलन में जगत मिलानी चाहिए। हमारे सामने जानून की लगत नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश बोले- हाँ। इसे जीवन मौत के मामले में तरह नहीं होगा।

● CJJ बोले- हम एक समिति

नें बनाने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोर्ड ने कहा, हम स्थिति करेंगे। लोकन अधिकारित काल के लिए नहीं। हमारा मकसद सिफारिश करना चाहिए।

● शर्मा ने कहा कि किसान यह भी कह रहे हैं कि सभी आदोलन में जगत मिलानी चाहिए। हमारे सामने जानून की लगत नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश बोले- हाँ। इसे जीवन मौत के मामले में तरह नहीं होगा।

● CJJ बोले- हम एक समिति

नें बनाने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोर्ड ने कहा, हम स्थिति करेंगे। लोकन अधिकारित काल के लिए नहीं। हमारा मकसद सिफारिश करना चाहिए।

● शर्मा ने कहा कि किसान यह भी कह रहे हैं कि सभी आदोलन में जगत मिलानी चाहिए। हमारे सामने जानून की लगत नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश बोले- हाँ। इसे जीवन मौत के मामले में तरह नहीं होगा।

● CJJ बोले- हम एक समिति

नें बनाने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोर्ड ने कहा, हम स्थिति करेंगे। लोकन अधिकारित काल के लिए नहीं। हमारा मकसद सिफारिश करना चाहिए।

● शर्मा ने कहा कि किसान यह भी कह रहे हैं कि सभी आदोलन में जगत मिलानी चाहिए। हमारे सामने जानून की लगत नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश बोले- हाँ। इसे जीवन मौत के मामले में तरह नहीं होगा।

● CJJ बोले- हम एक समिति

नें बनाने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोर्ड ने कहा, हम स्थिति करेंगे। लोकन अधिकारित काल के लिए नहीं। हमारा मकसद सिफारिश करना चाहिए।

● शर्मा ने कहा कि किसान यह भी कह रहे हैं कि सभी आदोलन में जगत मिलानी चाहिए। हमारे सामने जानून की लगत नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश बोले- हाँ। इसे जीवन मौत के मामले में तरह नहीं होगा।

● CJJ बोले- हम एक समिति

नें बनाने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोर्ड ने कहा, हम स्थिति करेंगे। लोकन अधिकारित काल के लिए नहीं। हमारा मकसद सिफारिश करना चाहिए।

● शर्मा ने कहा कि किसान यह भी कह रहे हैं कि सभी आदोलन में जगत मिलानी चाहिए। हमारे सामने जानून की लगत नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश बोले- हाँ। इसे जीवन मौत के मामले में तरह नहीं होगा।

● CJJ बोले- हम एक समिति

नें बनाने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोर्ड ने कहा, हम स्थिति करेंगे। लोकन अधिकारित काल के लिए नहीं। हमारा मकसद सिफारिश करना चाहिए।

## गणतंत्र दिवस परेड बाधित करने की आशंका पर नोटिस जारी किया



कर सकते हैं।

● बोर्ड दिन सुप्रीम कोर्ट ने अदोलन में जगत मिलानी चाहिए। जहां मीडिया भी उन्हें देख सकते हैं। इसपर कोर्ट ने साल उठ





